निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर

मतगणना
COUNTING

Prepared By:
SURENDRA JAIN
SLMT & Addl. Nodal Officer
Dist. Election Office, PALI (RAJ)

मतगणना

निर्वाचन प्रक्रिया का **सबसे महत्वपूर्ण** चरण

गलत, अनियमित या असावधानी पूर्वक की गई मतगणना

सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को **Nullify निरस्त** कर सकती है

अतः सम्पूर्ण मतगणना कार्य को

आवश्यक अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखते हुए

अत्यधिक सतर्कता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए

मुख्य संदर्भ

R.O. HANDBOOK 2019

- अध्याय 15

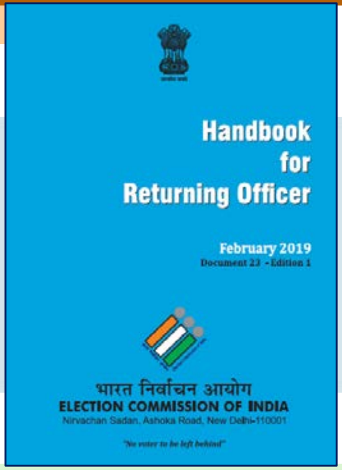

ECI द्वारा जारी

Manual on EVM and VVPAT

5th एडिशन

- अध्याय 14

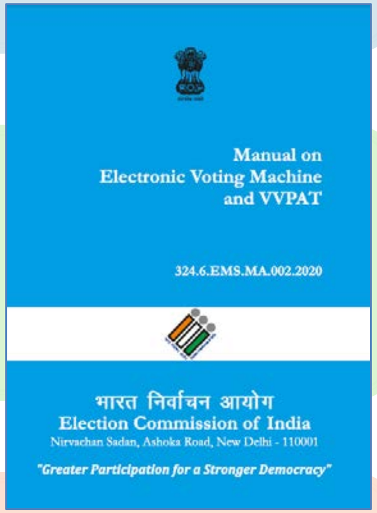

ECI द्वारा जारी

COVID GUIDELINES

- अगस्त 2020

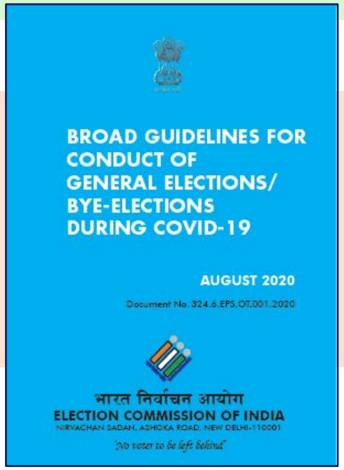

कोविड दिशा-निर्देश

मतगणना केंद्र को मतगणना से पूर्व, मतगणना के दौरान और बाद में भी विसंक्रमित किया जाए

अधिकतम अनुमत मतगणना टेबल - 7

आवश्यकता अनुसार 3 से 4 बड़े हॉल का चयन

यदि आवश्यक हो तो डाक मतपत्रों की गणना हेतु अलग हॉल

प्रत्येक केरिंग केस का सेनिटाइजेशन

कोविड दिशा-निर्देश

पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था

मतगणना कक्ष में पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था

प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनिंग / थर्मल जांच

मास्क एवं दस्ताने

विभिन्न कार्य

- ईवीएम से मतगणना
- वीवीपेट पर्चियों की गणना
- डाक मतपत्रों की गणना
- ETPBS द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों की गणना
- गणना के परिणामों का विभिन्न IT Applications पर अपडेशन

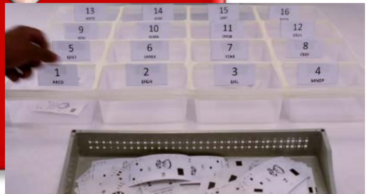

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SEMT PALI (RAJ)

प्रमुख बिन्दु

- मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान
- मतगणना केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं
- ईवीएम द्वारा मतगणना
- वीवीपेट पर्चियों की गणना
- डाक मतपत्रों की गणना
- परिणाम की घोषणा
- ईवीएम एवं अन्य प्रपत्रों की सीलिंग

वैधानिक प्रावधान

R. P. Act 1951

Sec. 64
Counting of Votes

Sec. 64A
Destruction, loss etc. of ballot papers at the time of counting

Sec 65
Equality of Votes

Sec 128
Maintenance of Secrecy of Voting

Sec 67
Report of the Result

Sec 66
Declaration of Results

Sec 129
Officers etc. at elections not to act for candidates or to influence voting

Sec 136
Other offences and penalties thereof [Sub sections to (1)-(4)]

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

वैधानिक प्रावधान

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

Rule 51
Time and place for counting

Rule 52
Appointment of Counting Agents

Rule 53
Admission to the place of counting

Rule 55C
Scrutiny and inspection of EVMs before counting

Rule 56C
Actual counting

Rule 57C
EVMs after counting

Rule 63
Provides for recount of votes

Rule 64
Provides for declaration of result of election

Rule 66
Provides for grant of certificate of election to returned candidate

Rule 66A
Provision of counting of votes where EVMs used

आवश्यक व्यवस्थाएं

सभी उम्मीदवारों को, मतगणना की तिथि, समय एवं स्थान के संबंध में, मतदान दिवस से कम-से-कम 3 दिन पूर्व, अनिवार्यतः सूचित किया जाना चाहिए

Notice Format : Annexure 36/37 (RO Handbook)

EVM से मतगणना पूर्ण होने के बाद, 5 मतदान केन्द्रों के वीवीपेट की पर्चियों की गणना के लिए निकाले जाने वाली लॉटरी के संबंध में भी, सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त समय पूर्व, लिखित में सूचित किया जाना चाहिए

आवश्यक व्यवस्थाएं

पर्याप्त वीडियो टीमों का गठन

मतगणना प्रक्रिया से संबन्धित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की, Time Stamp के साथ, **वीडियोग्राफी** किया जाना आवश्यक है

महत्वपूर्ण गतिविधियां :

- मतगणना दलों का रेंडमाईजेशन
- ईवीएम स्ट्रॉग रूम का खोला जाना
- स्ट्रॉग रूम से मतगणना कक्ष के बीच ईवीएम का परिवहन
- मतगणना कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था

आवश्यक व्यवस्थाएं

मतगणना कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था

अनुमत संख्या में, निर्धारित Layout के अनुरूप, मतगणना टेबलों की व्यवस्था

प्रत्येक मतगणना कक्ष में रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं सहयोगी स्टाफ हेतु आवश्यक व्यवस्था

प्रत्येक टेबल पर 1CS, 1 CA एवं 1 MO के बैठने की उचित व्यवस्था

आवश्यक व्यवस्थाएं

मतगणना कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था

RO/ARO Table, Observer Table, Computer/Compilation Desk हेतु अतिरिक्त MO की व्यवस्था

Observer द्वारा प्रत्येक राउंड में की जाने वाली, दो EVM की रेण्डम जांच हेतु, अतिरिक्त मतगणना कार्मिकों/MO की व्यवस्था

आवश्यक व्यवस्थाएं

मतगणना कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था

Round-wise रुझान प्रदर्शन हेतु, प्रत्येक मतगणना कक्ष में, पहले से लिखे हुए, उम्मीदवारों के नाम एवं राउंड सं. सहित, Black/White Boards की व्यवस्था

प्रत्येक टेबल के पीछे मतगणना अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक व्यवस्था

आवश्यकता अनुसार CU की नई बैटरियों की व्यवस्था

PREPARED BY : SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

आवश्यक व्यवस्थाएं

ईवीएम स्ट्रॉग रूम हेतु प्रभारी एवं पर्याप्त सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति

स्ट्रॉग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम के निर्बाध परिवहन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं

स्ट्रॉग रूम से मतगणना टेबलों तक भिजवाई जाने वाली कंट्रोल यूनिट्स की राउंड वार स्पष्ट सूची

मतगणना टेबलों पर केवल कंट्रोल यूनिट्स ही भिजवाई जाएगी

आवश्यक व्यवस्थाएं

स्ट्रॉग रूम से भिजवाई जाने वाली यूनिटों का राउंड वार विवरण

लोक सभा आम चुनाव 2019 पाली (118) Round No. : 1			लोक सभा आम चुनाव 2019 पाली (118) Round No. : 2			लोक सभा आम चुनाव 2019 पाली (118) Round No. : 3		
Table No.	P.S. No.		Table No.	P.S. No.		Table No.	P.S. No.	
1	1		1	15		1	29	
2	2		2	16		2	30	
3	3		3	17		3	31	
4	4		4	18		4	32	
5	5		5	19		5	33	
6	6		6	20		6	34	
7	7		7	21		7	35	
8	8		8	22		8	36	
9	9		9	23		9	37	
10	10		10	24		10	38	
11	11		11	25		11	39	
12	12		12	26		12	40	
13	13		13	27		13	41	
14	14		14	28		14	42	

आवश्यक व्यवस्थाएं

❖ प्रत्येक मतगणना टेबल पर राउंड वार आने वाली मशीनों की स्पष्ट सूची

❖ प्रत्येक मतगणना टेबल पर आवश्यक सामग्री की व्यवस्था

✓ नीला बॉल पॉइंट पेन

✓ पेपर नाइफ

✓ रफ पेपर

✓ प्रपत्र 17 C भाग II

✓ MO हेतु अतिरिक्त प्रपत्र

आवश्यक व्यवस्थाएं

मतगणना टेबलों पर आने वाली यूनिटों का राउंड वार विवरण

लोक सभा आम चुनाव 2019
पाली (118)

Table No. : 1

Round	P.S. No.	
1	1	
2	15	
3	29	
4	43	
5	57	
6	71	
7	85	
8	99	
9	113	
10	127	
11	141	

लोक सभा आम चुनाव 2019
पाली (118)

Table No. : 2

Round	P.S. No.	
1	2	
2	16	
3	30	
4	44	
5	58	
6	72	
7	86	
8	100	
9	114	
10	128	
11	142	

लोक सभा आम चुनाव 2019
पाली (118)

Table No. : 3

Round	P.S. No.	
1	3	
2	17	
3	31	
4	45	
5	59	
6	73	
7	87	
8	101	
9	115	
10	129	
11	143	

प्रपत्र 17 C
भाग II

प्ररूप 17 C

लोक सभा आम चुनाव 2019 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 15–पाली

भाग II–मतगणना का परिणाम

विधानसभा क्षेत्र : ....
मतदान केंद्र सं. : ....

राउण्ड सं. : ....
टेबल सं. : ....

अभ्यर्थियो की कम सं0	अभ्यर्थी का नाम	कट्रोल यूनिट पर यथा प्रदर्शित मतों की संख्या	फार्म 17 C के भाग I के बिन्दु सं. 5 के अनुसार 49 MA के घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या	वैध मतों की संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अअअ			
2	बबब			
3	ससस			
4	ददद			
5	ककक			
6	खखख			
7	गगग			

9	इनमें से कोई नहीं			
	योग			

क्या उपरोक्त दर्शाई गई मतों की कुल सख्या फार्म 17 C क भाग I की मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई मतों की कुल संख्या के साथ मिलान खाती है या उन दोनों योगो में कोई अन्तर दर्शित होता है ....

स्थान : पाली
दिनांक : 23 मई, 2019

मतगणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

हम, एतदद्वारा, प्रमाणित करते हैं कि सीयू सं.. वही है/हैं जिनका उपयोग मतदान केंद्र सं. .... में किया गया था ।

ECI Inst. 22.05.2019

New

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता का नाम	पूर्ण हस्ताक्षर
1..	
2..	
3..	
4..	
5..	
6..	
7..	
8..	

स्थान : पाली

दिनांक : 23 मई, 2019

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

प्रपत्र 17 C भाग II

मतगणना माइक्रो–ऑब्जर्वर द्वारा मतों को लिखने के लिए प्रपत्र
लोक सभा आम चुनाव 2019 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 15–पाली

MO द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र : ....
मतदान केंद्र सं. : ....

कंट्रोल यूनिट की आईडी :
....
....

राउण्ड सं. : ....
टेबल सं. : ....

अभ्यर्थियो की क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	कंट्रोल यूनिट पर यथा प्रदर्शित मतों की संख्या	फार्म 17 C के भाग I के बिन्दु सं. 5 के अनुसार 49 MA के घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या	वैध मतों की संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अअअ			
2	बबब			
3	ससस			
4	ददद			
5	ककक			

6	खखख			
7	गगग			
8	डडड			
9	इनमें से कोई नहीं			
	योग			

क्या उपरोक्त दर्शाई गई मतों की कुल सख्या फार्म 17 C क भाग I की मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई मतों की कुल संख्या के साथ मिलान खाती है या उन दोनों योगो में कोई अन्तर दर्शित होता है ....

स्थान : पाली
दिनांक : 23 मई, 2019

MO द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

मतगणना माइक्रो–ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर

PREPARED BY : SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

आवश्यक व्यवस्थाएं

मतगणना समाप्ति के पश्चात ईवीएम एवम अन्य रिकॉर्ड की सीलिंग के लिए पृथक दल एवं एक वरिष्ठ प्रभारी की व्यवस्था

सीलिंग हेतु आवश्यक सामग्री यथा चपड़ी, RO Seal, Secret Seal, Address Tags की व्यवस्था

मतगणना का प्रारम्भ

निर्धारित दिनांक एवं समय पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के तहत सभी मतगणना कक्षों में, RO/ARO द्वारा, सभी को गोपनीयता के संबंध में घोषणा के साथ मतगणना कार्य को प्रारम्भ किया जाएगा

मतगणना का प्रारम्भ

मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व

मतगणना हाल में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली

<u>घोषणा</u>

मैं घोषणा करता हूँ कि .... चुनाव .... हेतु दिनांक .... को .... परिसर में होने वाली मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखूँगा और बनाए रखने में सहायता करूंगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करूंगा ।

मतगणना का प्रारम्भ

सर्वप्रथम रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में सामान्य डाक मतपत्रों की गणना एवं ETPBS से प्राप्त डाक मतपत्रों की स्केनिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा

ईवीएम से मतगणना का कार्य विधानसभा क्षेत्रवार निर्धारित मतगणना कक्षों में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 30 मिनट बाद प्रातः 8:30 बजे से प्रारम्भ किया जाएगा

मतगणना का प्रारम्भ

डाक मत पत्रों की गणना पूर्ण होने से पूर्व, अंतिम से पहले राउंड Penultimate Round की ईवीएम की मतगणना का कार्य रोके जाने की आवश्यकता नहीं है

ईवीएम से मतगणना पूर्ण होते ही वीवीपेट पर्चियों की गिनती का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है

New

ECI Inst. 18.05.2019

मतगणना

ईवीएम मतगणना के प्रत्येक राउंड में पर्यवेक्षक महोदय द्वारा किन्ही भी 2 मतदान केन्द्रों की मतगणना की पुनः जांच करवाई जाएगी

इस जांच की रिपोर्ट पृथक से तैयार की जाएगी

मतगणना

ईवीएम मतगणना के अगले राउंड को तभी प्रारम्भ किया जाएगा जबकि :

- ✓ उस राउंड की सभी ईवीएम की मतगणना का कार्य पूर्ण हो गया हो
- ✓ पर्यवेक्षक महोदय द्वारा 2 ईवीएम की रेण्डम जांच का कार्य पूर्ण हो गया हो
- ✓ राउंड वाइज़ Tabulation of Trends Statement पर ARO एवं Observer के हस्ताक्षर हो गए हों
- ✓ प्रपत्र 17 C भाग II पर ARO के हस्ताक्षर हो गए हों
- ✓ उस राउंड के परिणाम की उद्घोषणा कर दी गई हो

मतगणना

Proforma for recording of Votes by Additional Counting Staff

PROFORMA FOR RECORDING OF VOTES
BY ADDITIONAL COUNTING STAFF

No and Name of A.C. –
Round No.-
Table No.-
C U Number:

Polling Station Number:

SN.	Name of Candidate (Pre-Printed)	No. of votes recorded

Date: Signature of Addl. Counting staff (With full name)

* **To be handed over to the Observer only.**

मतगणना

Annexure For Tabulating Trends/ Results

Annexure for tabulating Trends/Results

Number & Name of Constituency ______________________ Round Number ___ Date ________

Table No.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	Total	Brought from Previous Round	Cumulative Total
Polling Booth No.										
Sl. No.	Name of Candidate									
Rejected Vote		Not Applicable		(For AROs)						
Total Vote										
		Initial of RO	Initial of RO	Initial of RO	Initial of RO	Initial of RO	Initial of RO	Initial of RO		
		Initial of Observer	Initial of Observer	Initial of Observer	Initial of Observer	Initial of Observer	Initial of Observer	Initial of Observer		

मतगणना

मतदान दिवस या संवीक्षा के दौरान चिन्हित,
ऐसे मतदान केन्द्रों के लिए, जहां दिखावटी मतदान का डाटा सीयू से मिटाया नहीं गया हो या
दिखावटी मतदान की कुछ या सारी पर्चियाँ वीवीपेट ड्रॉप-बॉक्स से हटाई नहीं गयी हो

ऐसे सभी मतदान केन्द्रों की कंट्रोल यूनिट को EVM मतगणना के सामान्य राउंड में टेबलों पर नहीं भेजा जाएगा

ECI Inst. 21.05.2019

New

मतगणना

ऐसे चिन्हित सभी मतदान केन्द्रों के लिए पर्चियों से गणना, यदि आवश्यक हुआ तो, सभी सामान्य राउंड समाप्त होने के बाद, आयोग के निर्देशानुसार पूर्ण की जाएगी

ऐसे सभी पूर्व चिन्हित मतदान केन्द्रों की पूर्ण सूची, सभी उम्मीदवारों के साथ, मतगणना से पूर्व ही साझा की जाएगी

New

मतगणना

यदि मतगणना की राउंड-वार गणना के दौरान Total बटन दबाने पर मतों का मिलान प्रपत्र 17 C भाग I में दर्ज मतों से नहीं होता है तो ऐसी सीयू को भी अलग रख दें

इनके लिए CU से मतगणना नहीं की जाएगी

संभव है वास्तविक मतदान के दौरान मॉक-पोल के पश्चात CRC की निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई हो

इस प्रकार की स्थिति को, पूरी तरह से, उपस्थित उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को RO/ARO द्वारा समझाया जाएगा

ECI Inst. 21.05.2019

New

मतगणना – वीवीपेट काउंटिंग बूथ (VCB)

जिस मतगणना कक्ष में RO स्वयं उपस्थित हों, उसी कक्ष की एक टेबल को पहले ही वीवीपेट काउंटिंग बूथ (VCB) के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा जहां वीवीपेट की छपी हुई पर्चियों की गणना की जाएगी

वीवीपेट काउंटिंग बूथ (VCB) को तार की जाली से ढका जाएगा ताकि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की पर्चियों तक पहुँच नहीं हो सके

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SEMT PALI (RAJ)

मतगणना – वीवीपेट काउंटिंग बूथ (VCB)

VCB का न्यूनतम आकार
लंबाई 6 ft, चौड़ाई 6 ft, ऊँचाई 8 ft होना चाहिए

New

VCB की छत को एवं चारों ओर से, तार की संकरी जाली से ढका जाएगा
ताकि कोई भी पर्ची बाहर नहीं निकाल पाये

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आदि हेतु, उचित ऊँचाई पर,
5 cm त्रिज्या का गोलाकार छेद किया जा सकता है

VCB गणना टेबल के ठीक ऊपर, छत पर, CCTV कैमरा लगाया जाएगा

VCB में कम-से-कम 4 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए

ECI Inst. 22.01.2020

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना-मॉक ड्रिल

New

प्रशिक्षण हेतु चिन्हित EVM एवं VVPAT का ही प्रयोग किया जाए
रिजर्व यूनिट्स का प्रयोग नहीं करें

मतपत्र पर आयोग द्वारा निर्धारित
Dummy Symbols का ही प्रयोग किया जाए

1	AAA एएए	α
2	BBB बीबीबी	β
3	CCC सीसीसी	γ
4	DDD डीडीडी	δ
5	EEE ईईई	ε
6	FFF एफ़एफ़एफ़	π
7	GGG जीजीजी	η
8	HHH एचएचएच	θ

Dummy VCB तैयार किया जाए

मतगणना की मॉक ड्रिल हेतु
कम-से-कम 500 वीवीपेट पर्चियाँ तैयार की जाएगी

VCB में पर्चियों की मतगणना का कार्य, निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार, पर्यवेक्षक महोदय की उपस्थिती में पूर्ण किया जाएगा

ECI Inst. 01.01.2020

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

कंट्रोल यूनिट कैरिंग बक्से के एड्रैस टेग की जांच करें

एड्रैस टैगों से मिलान कर सुनिश्चित करें कि प्रत्येक टेबल पर उस राउंड से संबन्धित मतदान केंद्र की यूनिट ही प्राप्त हुई है

CU के केरींग बक्से को खोलकर एड्रैस टैगों पर अंकित <u>यूनिक आई.डी.</u> एवं 17 C भाग I में अंकित ID का CU के पीछे लगे <u>मेटेलिक स्टिकर</u> पर अंकित संख्या से मिलान करें

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

सभी सीलों के सही होने को सुनिश्चित करते हुए उपस्थित उम्मीदवारों या उनके गणन अभिकर्ताओं को भी संतुष्ट करें

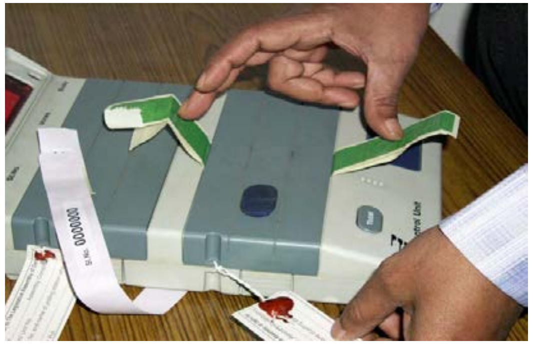

CU के रिज़ल्ट खण्ड पर लगी हुई स्ट्रिप सील एवं पिंक पेपर सीलों के नंबर की भी जांच करें

सावधानी पूर्वक स्ट्रिप सील को काटें, रिज़ल्ट खण्ड के बाहर लगे एड्रैस टेग को हटाएँ और रिज़ल्ट खण्ड के बाहरी ढक्कन को खोलें

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

ध्यान रखें, आपको केवल नीचे वाले रिज़ल्ट खंड के ढक्कन को ही खोलना है

रिज़ल्ट खंड के ऊपर के उम्मीदवार खण्ड को नहीं छेड़ें

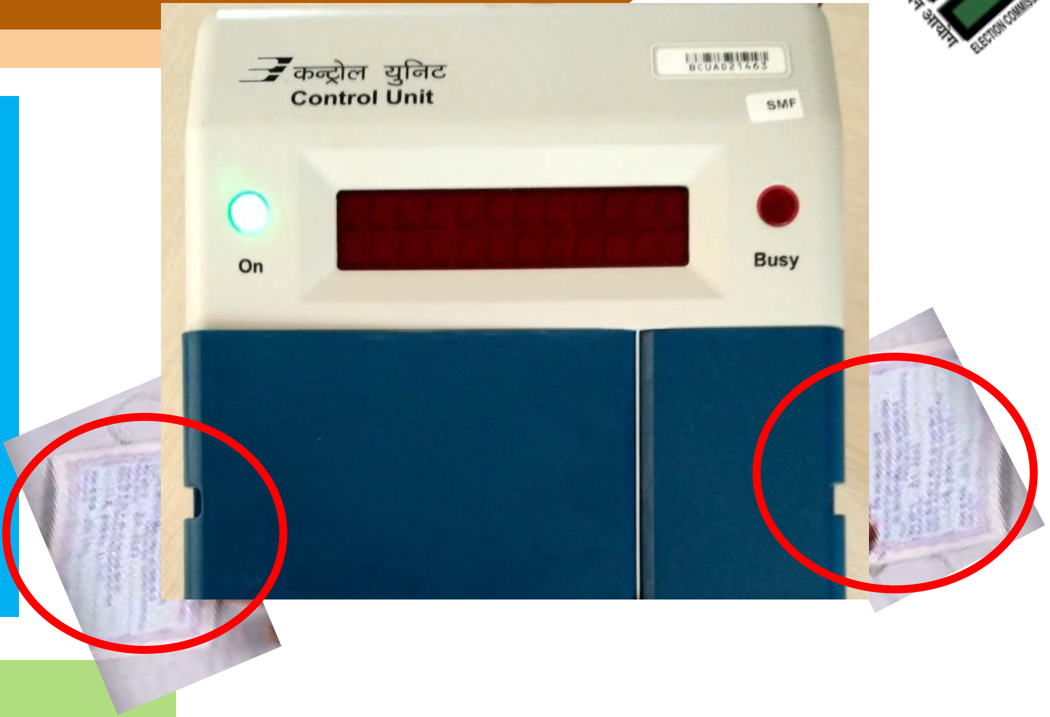

CU के रिज़ल्ट खण्ड के मध्य, रिज़ल्ट बटन पर लगी हुई ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टेग की भी जांच करें ।

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

CU के पिछले हिस्से को खोलकर
पावर स्विच को ऊपर की ओर करते हुए
मशीन को **ऑन** करें

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

CU **ऑन** होने पर

Power-on-sequence के मैसेज प्रदर्शित करेगी

प्रदर्शन क्रम को पूर्ण होने दें

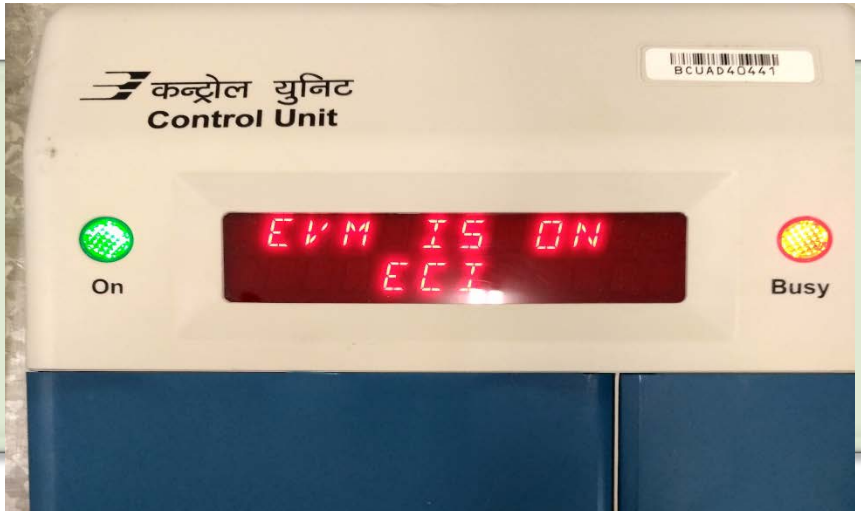

प्रदर्शन खण्ड पर प्रदर्शित S.No. से पुनः CU की ID का मिलान करें

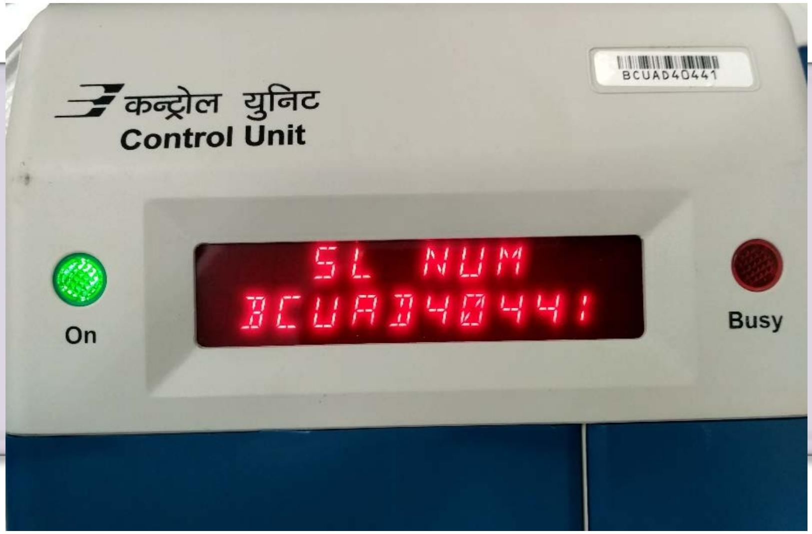

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

यदि सीयू के डिस्प्ले पर 'CHANGE BATTERY' का डिस्प्ले आता है तो RO महोदय की अनुमति से सीयू की बैटरी को बदलकर मशीन को ऑन करें

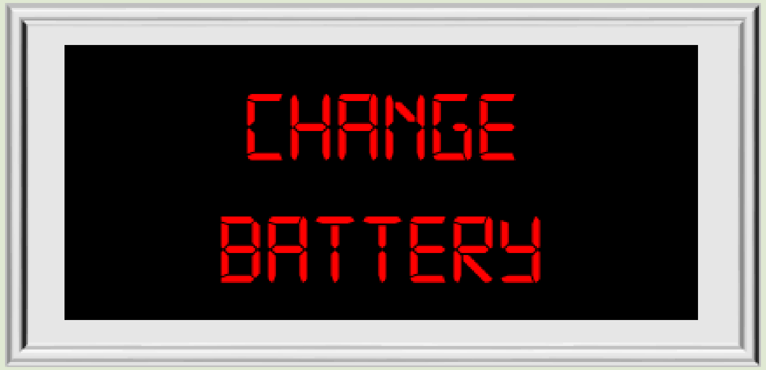

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

यदि सीयू के डिस्प्ले पर कोई Error Message का डिस्प्ले आता है या कोई भी डिस्प्ले नहीं आता है तो ऐसी सीयू को अलग कर दें

BEL Engineer से जांच कराएं

ऐसी सभी खराब CU से संबन्धित मतदान केन्द्रों के लिए अंतिम राउंड के बाद वीवीपेट की पर्चियों से मतगणना की जाएगी

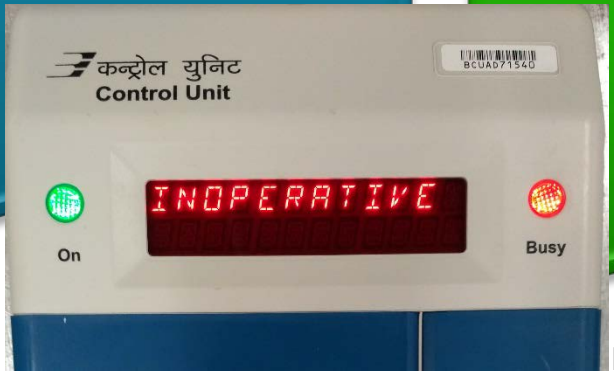

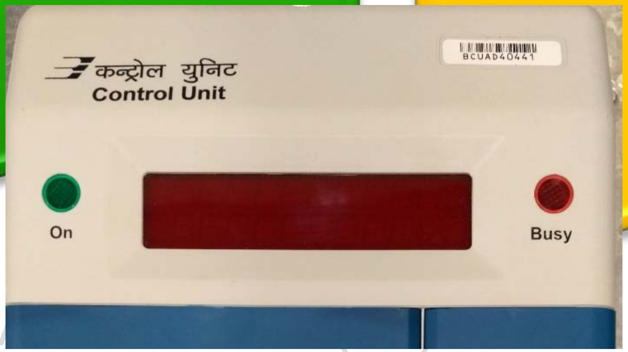

BY: SURENDRA

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

रिज़ल्ट बटन पर लगी हुई ग्रीन पेपर सील को छेदकर RESULT बटन को दबाएँ

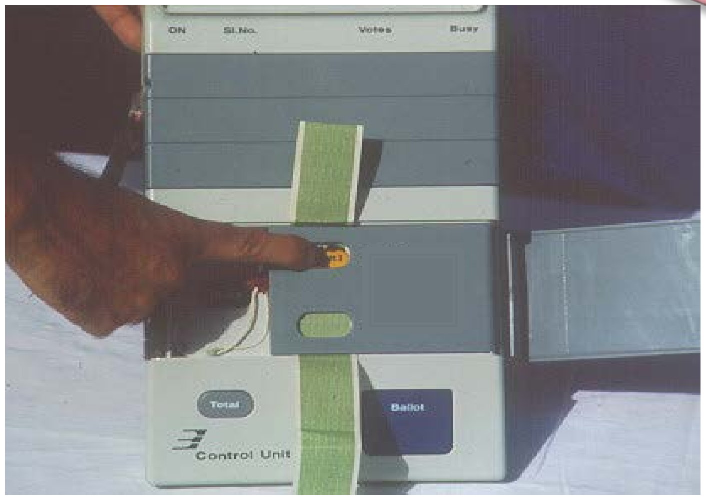

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

परिणाम के डिस्प्ले पर सर्वप्रथम प्रदर्शित होने वाले मतदान प्रारम्भ होने और मतदान समाप्ति कि दिनांक एवं समय का रिकॉर्ड से मिलान करें एवं गणन अभिकर्ताओं को भी दिखाएँ

यदि दिनांक और समय में कोई अंतर है तो मॉक पोल सर्टिफिकेट की जांच कर अभिकर्ताओं को भी संतुष्ट करें

यदि समय में अंतर का मॉक पोल सर्टिफिकेट से मिलान नहीं हो तो रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें

डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित क्रमिक परिणाम को प्रपत्र 17 सी के भाग 2 में लिख कर अन्य सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण करें

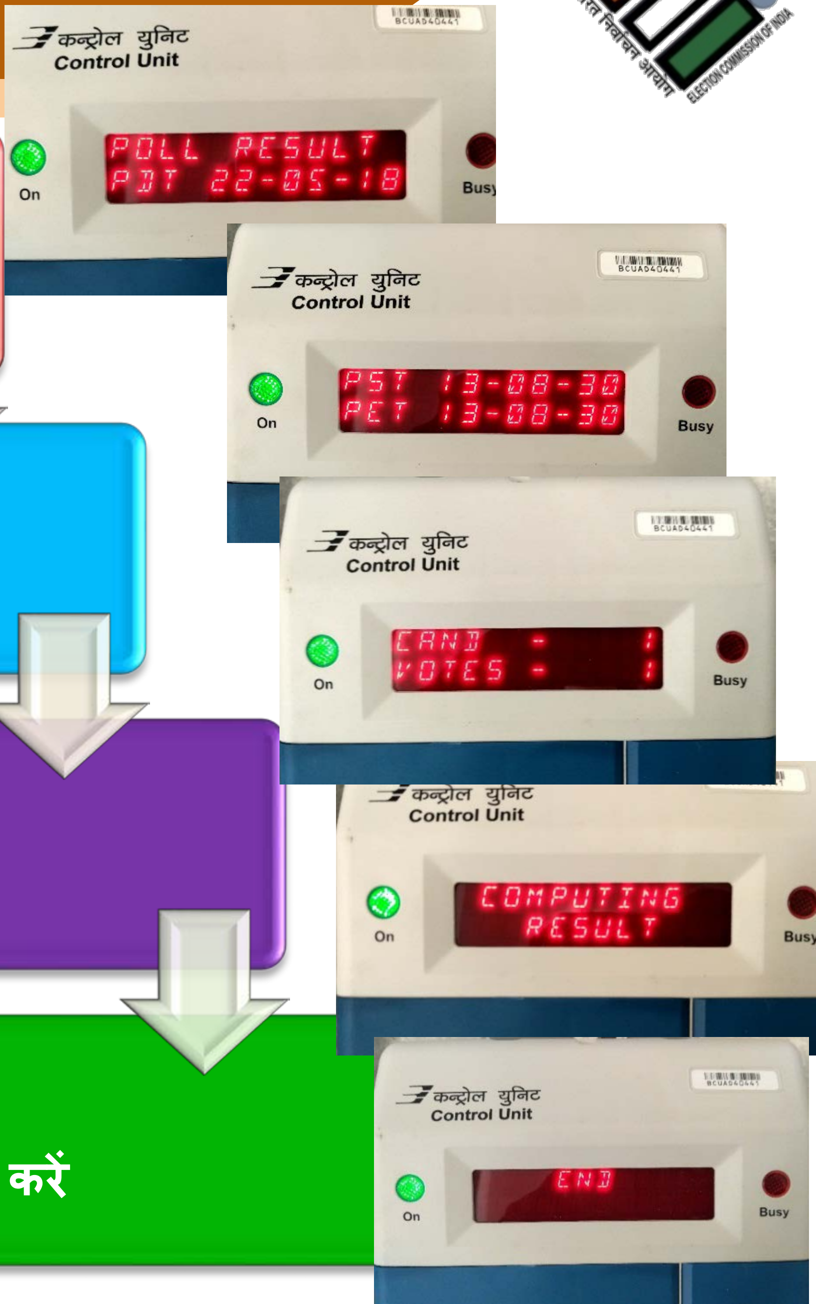

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

परिणाम का प्रदर्शन गणन अभिकर्ताओं को भी देखने दें एवं यदि आवश्यकता हो तो पुनः Result बटन दबाकर परिणाम को दुबारा भी देखा जा सकता है

किसी तकनीकी कारण से परिणाम प्रदर्शित न होने पर तुरंत सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें

PREPA ... ALI (RAJ)

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

प्रत्येक कंट्रोल यूनिट को परिणाम देखने के बाद पीछे का कंपार्ट्मेंट खोलकर पावर ऑफ अवश्य करें

आपकी टेबल पर निर्धारित अगली कंट्रोल यूनिट्स के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएँ

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

जिन मतदान केन्द्रों पर एक से अधिक कंट्रोल यूनिट काम में ली गई है, उन सभी को, निर्धारित राउंड में, निर्धारित टेबल पर, एक साथ, लाया जाएगा

ऐसी सभी CU से मतों की गणना का परिणाम अलग-अलग प्रपत्र 17 C भाग II में तैयार किया जा कर समेकित परिणाम भी प्रपत्र 17 C भाग II में तैयार किया जाएगा

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

यदि Result बटन दबाने पर डिस्प्ले पैनल पर INVALID प्रदर्शित हो तो यह संभव है कि मतदान समाप्ति के बाद भूलवश Close बटन नहीं दबाया गया हो

ऐसी स्थिति में Total बटन दबाकर सीयू में रिकॉर्ड मतों का प्रपत्र 17 C भाग I में दर्ज मतों के संख्या से मिलान करें

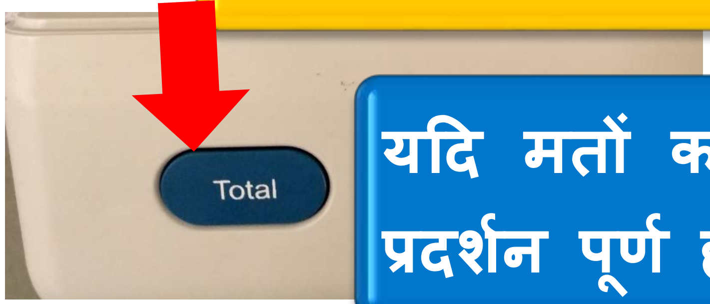

यदि मतों का मिलान होता है तो Close बटन दबाने पर प्रदर्शन पूर्ण होने के बाद Result बटन दबाकर परिणाम देखें

ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट Ann. A में तैयार की जाएगी

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

कंट्रोल यूनिट से मतगणना

यदि Total बटन दबाने पर मतों का मिलान प्रपत्र 17 C भाग I में दर्ज मतों से नहीं होता है तो ऐसी सीयू को अलग रख दें

ऐसी सभी यूनिट्स के लिए, अंतिम राउंड के पश्चात, यदि आवश्यक हो तो, वीवीपेट पर्चियों से गणना की जाएगी

कंट्रोल यूनिट

Annexure A

Annexure-A

(Report on getting result data from Control Unit whose CLOSE button was not pressed by Presiding Officer at the end of poll)

Name of State/UT:

Name of District:

Name of election:

Number & Name of Assembly/Parliamentary Constituency:

Date of Counting:

It is certified that the result has been obtained from the following Control Unit(s) after pressing CLOSE button in the presence of the contesting candidates/their counting agents. The result of the election has been declared taking into consideration the result from this machine as well.

Sl. No.	Polling Station No.	Unique ID No. of Control Unit	Detailed Report	No. of votes polled in the Control Unit as per Form 17C

Final statement showing votes polled by the winning and runner up Candidates

S. No.	Name of candidate	Party affiliation, if any	Votes polled

(Name & Signature of Returning Officer)

(Name & Signature of Observer)

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

VVPAT पर्चियों से गणना एक-एक करके, निर्धारित VCB में ही की जाएगी

किसी तकनीकी कारण से सीयू से परिणाम प्रदर्शित न होने पर या मॉक पोल डाटा क्लियर नहीं होने पर की जाने वाली प्रत्येक VVPAT पर्चियों की गणना को **एक अलग राउंड** माना जाएगा

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

**वीवीपेट पर्चियों कि गणना केवल निम्न तीन स्थितियों में,
इसी क्रम में ही की जाएगी**

- सर्वप्रथम किसी तकनीकी कारण से सीयू से परिणाम प्रदर्शित न होने पर या आयोग निर्देशानुसार मॉक पोल डाटा क्लियर नहीं होने पर
- नियम 56D के तहत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आदेश देने पर
- सम्पूर्ण ईवीएम मतगणना की समाप्ति के बाद, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लॉटरी द्वारा रैन्डमली चयनित 05 मतदान केन्द्रों की पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन हेतु

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना का क्रम

अंतिम चक्र की समान्य ईवीएम मतगणना समाप्ति के बाद

सर्वप्रथम उन मतदान केन्द्रों की वीवीपेट पर्चियों की गणना की जाएगी जिनकी CU से परिणाम प्राप्त नहीं हो सका था

New

इसके पश्चात ऐसे मतदान केन्द्रों की वीवीपेट पर्चियों की गणना की जाएगी जिनके लिए मॉक पोल डाटा क्लियर नहीं किया गया था

लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए यदि जीत का अंतर ऐसे सभी मतदान केन्द्रों पर डाले गए कुल मतों से अधिक है तो ऐसी सभी वीवीपेट पर्चियों की गणना नहीं की जाएगी

ECI Inst. 21.05.2019

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना का क्रम

यदि मॉक पोल डाटा क्लियर नहीं किए जाने या मॉक पोल पर्चियों को बाहर नहीं निकाले जाने की स्थिति में CU के स्थान पर VVPAT पर्चियों से गणना की जाती है तो

New

पर्चियों की गणना से प्राप्त परिणाम में से मॉक पोल प्रमाणपत्र में उम्मीदवार-वार अंकित मतों को कम करते हुए वास्तविक परिणाम प्राप्त किया जाएगा

ECI Inst. 21.05.2019

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

तीसरे क्रम पर नियम 56 D के तहत RO द्वारा स्पीकिंग आदेश के तहत मतगणना, यदि कोई हो तो

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना : लॉटरी की प्रक्रिया

इसके पश्चात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केन्द्रों की वीवीपेट पर्चियों की गणना हेतु, मतदान केन्द्रों का चयन, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं एवं पर्यवेक्षक महोदय की उपस्थिती में लॉटरी द्वारा किया जाएगा

लॉटरी, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में ही, अंतिम राउंड के तुरंत बाद निकाली जाएगी

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना : लॉटरी की प्रक्रिया

लॉटरी हेतु, पोस्टकार्ड आकार के (लगभग 4"x5.5"), पेपर कार्ड्स का प्रयोग किया जाएगा

इनमें सबसे ऊपर विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम एवं मतदान की दिनांक छपी होगी और मध्य में मतदान केंद्र सं. 1"x1" आकार के फॉन्ट में, काली स्याही में छपी होनी चाहिए

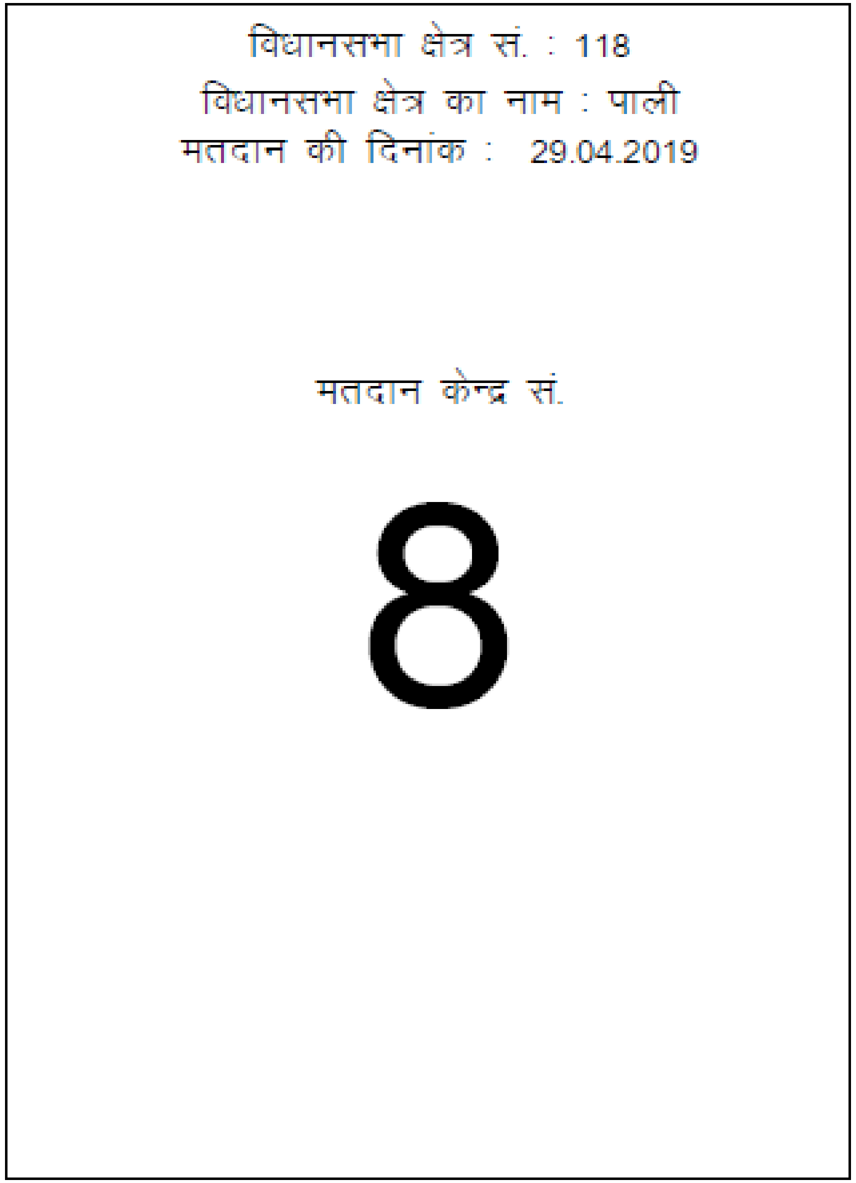

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना : लॉटरी की प्रक्रिया

उपरोक्त तीनों स्थितियों की गणना के बाद लॉटरी के लिए तैयार पेपर कार्ड्स में से ऐसे सभी मतदान केन्द्रों के कार्ड्स को हटा दिया जाएगा जिनके लिए पर्चियों की गणना की जा चुकी हो

बचे हुए सभी पेपर कार्ड्स को, उपस्थित उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को एक-एक कर दिखाते हुए, Four-Fold करके, एक बड़े कंटेनर में डाल कर, लॉटरी निकाली जाएगी

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना : लॉटरी की प्रक्रिया

जिन पाँच मतदान केन्द्रों की लॉटरी निकलती है वहाँ प्रयोग में आई सभी वीवीपेट को 1-1 करके, पहले से किसी 1 टेबल पर तैयार, VCB में लाया जाकर, पर्चियों की गणना की जाएगी

गणना के उपरांत, उस मतदान केंद्र के लिए सीयू से की गई मतगणना के, प्रपत्र 17 C भाग II में लिखे गए परिणाम से जांच की जाएगी

यदि दोनों में कोई अंतर आता है तो पर्चियों की दुबारा गणना तब तक की जाएगी जब तक गणना के परिणाम का मिलान या तो सीयू की गणना से या पर्चियों की पूर्व गणना के परिणाम से नहीं हो जाये

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना : लॉटरी की प्रक्रिया

RO/ARO/Observer द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का व्यक्तिशः पर्यवेक्षण किया जाएगा

सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी

यदि पर्चियों की गणना और सीयू से की गई गणना में कोई अंतर आता है तो, पर्चियों की गणना के आधार पर परिणाम को संशोधित किया जाएगा
(नियम 56 D (4)(b))

वीवीपेट से पर्चियों को बाहर निकालते समय यदि कोई पर्ची वीवीपेट के प्रिंटर में अटकी हुई हो तो उसे खींचकर गिराने की कोशिश नहीं करें, ऐसी आधी कटी या अटकी हुई पर्ची को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

महत्वपूर्ण

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

आवश्यक सामग्री

- ✓ 14”x10”x5” आकार का ढक्कन युक्त पारदर्शी प्लास्टिक का डब्बा
- ✓ Pigeonhole Framework
- ✓ रबड़ बैंड
- ✓ पेपर नाइफ
- ✓ रफ पेपर
- ✓ प्रपत्र 17 C भाग II का Annexure
- ✓ MO हेतु अतिरिक्त प्रपत्र

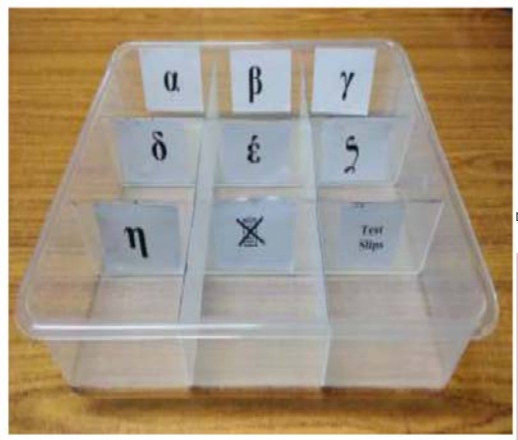

mple Container -14 inch X 10 inch X 5 inch (length X breadth X height)

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

वीवीपेट काउंटिंग बूथ (VCB) के रूप में चिन्हित मतगणना कक्ष की टेबल पर संबन्धित वीवीपेट को लाया जाएगा

वीवीपेट के ड्रॉप-बॉक्स से सभी पर्चियों को निकालकर टेबल पर पहले से रखे हुये 14"x10"x5" आकार के ढक्कन युक्त पारदर्शी प्लास्टिक के डब्बे में खाली किया जाएगा

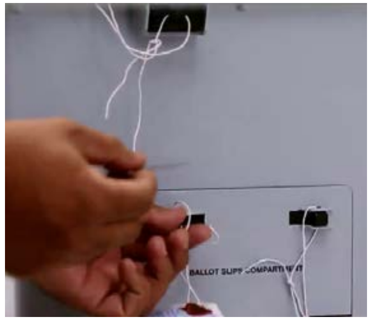

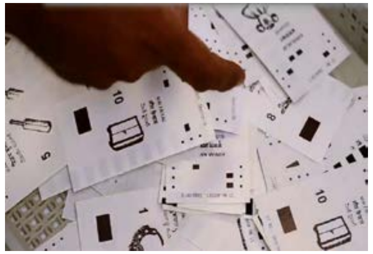

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

वीवीपेट पर्चियों की गणना के लिए पहले से तैयार Pigeonhole Framework का प्रयोग किया जाएगा

Pigeonhole Framework में कम से कम, उम्मीदवारों की संख्या से 2 खाने अधिक होने चाहिए – 1 नोटा के लिए एवं 1 टेस्ट पर्चियों को डालने के लिए

प्रत्येक खाने का आकार कम से कम 6"x4"x4" होना चाहिए

Pigeonhole की संरचना मजबूत पारदर्शी प्लास्टिक पदार्थ की होनी चाहिए

इसकी दीवारों पर प्रत्येक उम्मीदवार के 4"x3" के आकार में छपी हुई चुनाव चिन्ह की पर्चियों को चिपकाया जाएगा

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

मतगणना टेबल पर संबन्धित वीवीपेट को एक-एक कर लाया जाएगा

यदि किसी मतदान केंद्र पर वीवीपेट को बदला गया था तो उस मतदान केंद्र पर प्रयोग में ली गई सभी वीवीपेट यूनिट्स को लाया जाएगा

ड्रॉप-बॉक्स के एड्रैस टेग की प्रविष्टियों का मिलान किया जाएगा

PREPARED BY: SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

वीवीपेट के ड्रॉप-बॉक्स को खोलकर सभी पर्चियों को सावधानी से विशेष बॉक्स में खाली किया जाएगा

यह सुनिश्चित करें की वीवीपेट के ड्रॉप-बॉक्स में कोई भी पर्ची शेष नहीं है, इसे उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को भी दिखाएँ

यदि किसी मतदान केंद्र की वीवीपेट को खराबी के कारण बदला गया हो और उसमें कोई पर्ची लटकी हुई मिले, जो कट कर नहीं गिरी हो, तो उसे खींचकर गिराने की कोशिश नहीं करें

इन पर्चियों के साथ POST की 7 स्लिप्स भी होंगी जिन्हे सुरक्षित रखा जाएगा लेकिन मतगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

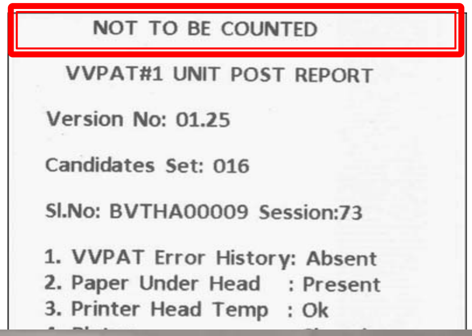
NOT TO BE COUNTED

VVPAT#1 UNIT POST REPORT

Version No: 01.25

Candidates Set: 016

Sl.No: BVTHA00009 Session:73

1. VVPAT Error History: Absent
2. Paper Under Head : Present
3. Printer Head Temp : Ok

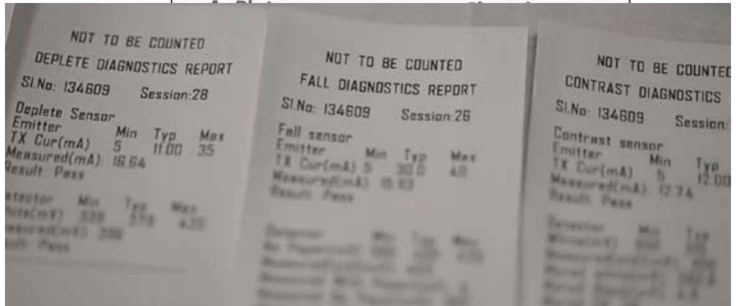

महत्वपूर्ण

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

अब पर्चियों को एक-एक कर अलग करते हुए, उपस्थित अभिकर्ताओं को दिखाते हुए, Pigeonhole Box के संबन्धित खाने में डाला जाएगा

वीवीपेट की टेस्ट स्लिप्स को भी अलग करते हुए Pigeonhole के Test Slips के खाने में अलग रखा जाएगा

प्रत्येक खाने से पर्चियों को निकालकर 25-25 के बण्डल तैयार किए जाकर पर्चियों की गणना की जाएगी

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

गणना के परिणाम को Form 17-C के भाग 2 के साथ के Annexure में अंकित किया जाएगा

गणना के परिणाम को उपस्थित अभिकर्ताओं को भी बताया जाएगा

यदि ईवीएम और पर्चियों के परिणाम में कोई अंतर हो तो नियम 56 D (4)(b) के अनुसार पर्चियों की गणना के परिणाम को माना जाकर रिज़ल्ट शीट में भी संशोधन किया जाएगा

वीवीपेट पर्चि

Annexure - 31

ANNEXURE TO PART-II OF FORM 17-C

RESULT OF PRINTED PAPER COUNT

Polling Station No ___________ **Total number of VVPATs used:**__________________

Unique ID of VVPAT: _________________

Sl.No. of candidate	Name of candidate	Number of votes as per count of Printed Paper Slip of VVPAT	Number of test votes to be deducted as per item 5 of Part I	Number of valid votes. (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Total

Whether the total number of votes shown above tallies with the total number of votes shown against item 6 of Part I or any discrepancy noticed between the two totals.(YES/NO)

Place……………………..

Date………………………

Signature of Counting Supervisor

Name of candidate/election agent/counting agent   Full signature

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Place……………………..

Date………………………

Signature of Returning Officer

Annexure For VVPAT Slips Counting

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

मतगणना के पश्चात वीवीपेट की पर्चियों के बण्डलों को पुनः वीवीपेट के ड्रॉप-बॉक्स में वापस रख कर ड्रॉप-बॉक्स को एड्रैस टैग लगाकर सील किया जाएगा

यदि उपस्थित कोई उम्मीदवार या उनका अभिकर्ता इन टैग्स पर अपनी सील लगाना चाहे तो उसे भी अनुमति दी जा सकती है

वीवीपेट पर्चियों से मतगणना

पर्चियों की गणना से संबन्धित विभिन्न रिपोर्ट

- ❖ **पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के संबंध में**

  ECI Letter No. 51/8/VVPAT-INST/2019-EMPS Dated 15.04.2019
  के परिशिष्ट A एवं B में रिपोर्ट

- ❖ **नियम 56 D के तहत की गई पर्चियों की गणना के संबंध में रिपोर्ट**

- ❖ **CU से परिणाम प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में की गई पर्चियों की गणना के संबंध में रिपोर्ट**

- ❖ **दिखावटी मतदान का डाटा क्लियर नहीं किए जाने के कारण की गई पर्चियों की गणना के संबंध में रिपोर्ट**

Manual on EVM & VVPAT 5th Edition अध्याय-14 P. No. 72-73

डाक मत पत्रों की गणना

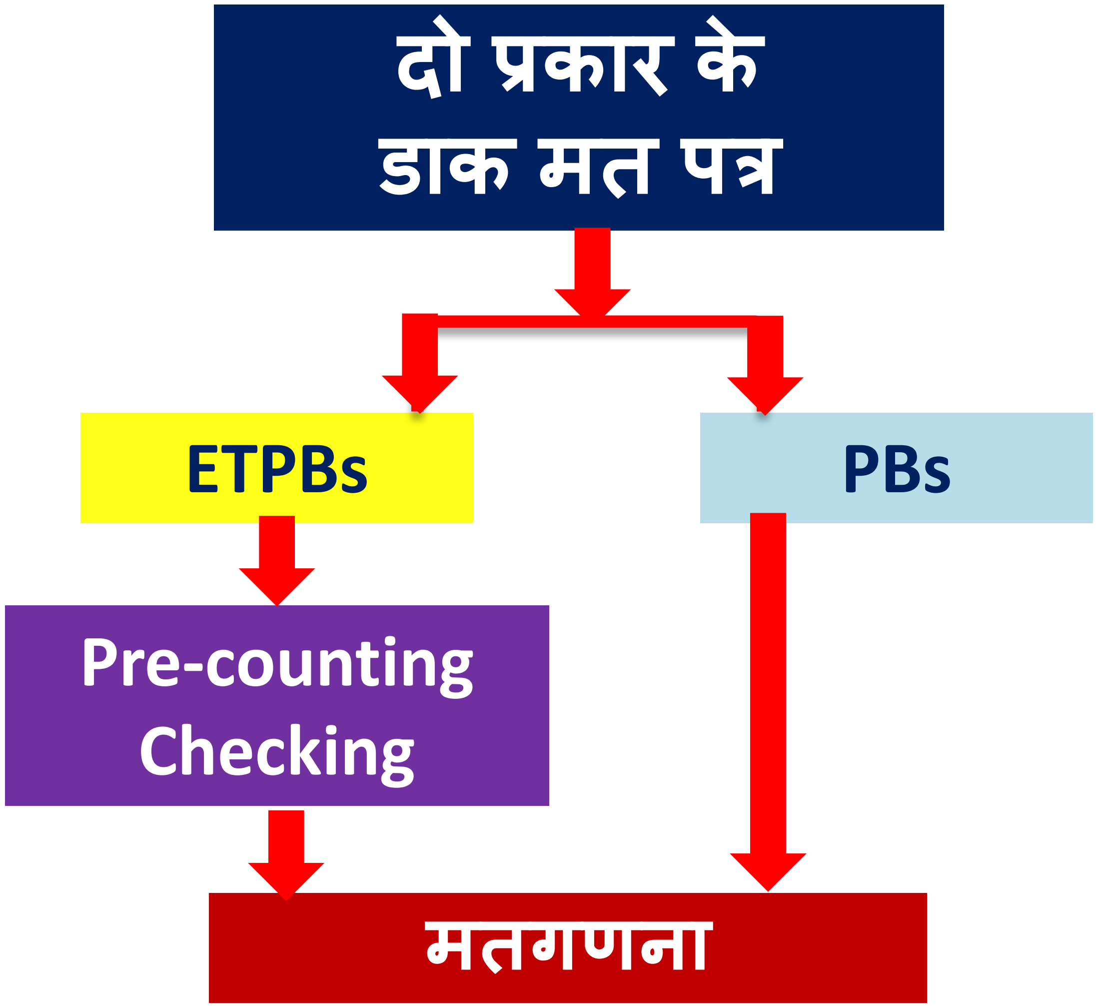

डाक मत पत्रों की गणना

मतगणना के समय सर्वप्रथम RO द्वारा डाक मत पत्रों की गणना एवं ETPBs की स्केनिंग प्रारम्भ की जाएगी

डाक मत पत्रों की गणना हेतु अलग से लगाई गई टेबलों पर प्रति चक्र एक बार में अधिकतम 500 डाक मत पत्र गणना के लिए दिये जा सकते हैं

प्रत्येक गणना टेबल पर 1 ARO, 1 CS, 2 CA एवं 1 MO बैठेंगे

डाक मत पत्र गणना के लिए CS एवं CA दोनों ही राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए

डाक मत पत्रों की गणना

डाक मत पत्रों की एक से अधिक टेबलों पर मतगणना की स्थिति में प्रत्येक टेबल पर राउंड वार तैयार किया जाने वाला प्रपत्र

ECI Letter No. 470/2014/SDR 14.05.2014

Annexure-1

FORMAT FOR RECORDING OF TALLY OF VOTES POLLED BY POSTAL BALLOT PAPER WHEN COUNTED IN MORE THAN ONE TABLE

Name of State /UT : Table No.__________

No. & Name of Parliamentary/Assembly Constituency :

Round No.__________
(if applicable)

No. of Postal Ballots supplied to this Counting Table for counting ______

Name of candidate	Party Affiliation	Number of votes polled
1.		
2.		
3		
4.		
5.		
6.		
7. NOTA		
8. Rejected votes		
TOTAL		

Place : ______________

Date:______________ Signature of Counting Supervisor

Name & Signature of candidate/election agent/counting agent present

1.
2.
3.
4.
....

Signature of ARO

PREPARED BY: SUREN

डाक मत पत्रों की गणना

गणना की प्रक्रिया दो चरणों में

प्रथम चरण

प्रारूप 13 ग को खोलकर

घोषणा 13 क की संवीक्षा

दूसरा चरण

प्रारूप 13 ख को खोलकर

वास्तविक मतगणना

डाक मत पत्रों की गणना

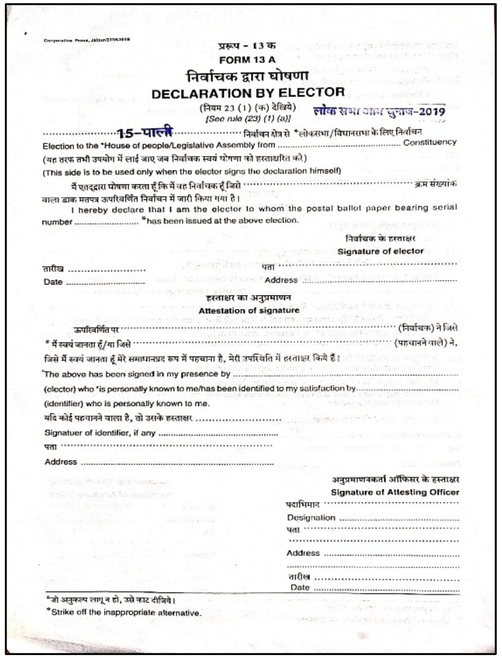
प्ररूप - 13 क
FORM 13 A
निर्वाचक द्वारा घोषणा
DECLARATION BY ELECTOR
(नियम 23 (1) (क) देखिये)
[See rule (23) (1) (a)]
लोक सभा आम चुनाव-2019

.......15-पाली....... निर्वाचन क्षेत्र से *लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन
Election to the *House of people/Legislative Assembly from .... Constituency
(यह तरफ तभी उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं घोषणा को हस्ताक्षरित करे)
(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे .... क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है।
I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number .... *has been issued at the above election.

निर्वाचक के हस्ताक्षर
Signature of elector

तारीख .... पता ....
Date .... Address ....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन
Attestation of signature

ऊपरिवर्णित पर .... (निर्वाचक) ने जिसे
* मैं स्वयं जानता हूँ/या जिसे .... (पहचानने वाले) ने,
जिसे मैं स्वयं जानता हूँ मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।
*The above has been signed in my presence by ....
(elector) who *is personally known to me/has been identified to my satisfaction by........
(identifier) who is personally known to me.
यदि कोई पहचानने वाला है, तो उसके हस्ताक्षर ....
Signatuer of identifier, if any ....
पता ....
Address ....

अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर
Signature of Attesting Officer
पदाभिमान ....
Designation ....
पता ....
Address ....
तारीख ....
Date ....

*जो अनुकल्प लागू न हो, उसे काट दीजिये।
*Strike off the inappropriate alternative.

+

डाक
मत
पत्र

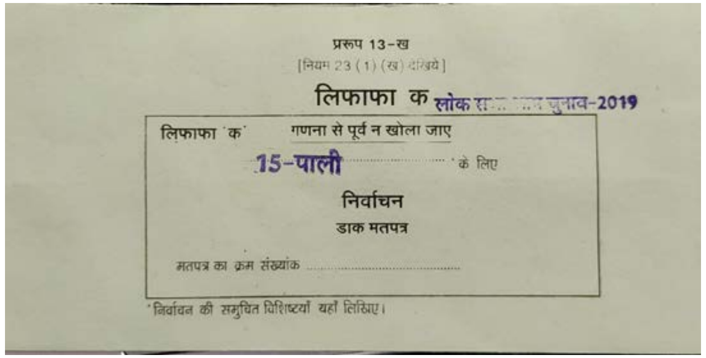
प्ररूप 13-ख
[नियम 23 (1) (ख) देखिये]
लिफाफा क लोक सभा आम चुनाव-2019

लिफाफा 'क' गणना से पूर्व न खोला जाए
15-पाली .... *के लिए
निर्वाचन
डाक मतपत्र
मतपत्र का क्रम संख्यांक ....
*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियाँ यहाँ लिखिए।

डाक मत पत्र देने की प्रक्रिया

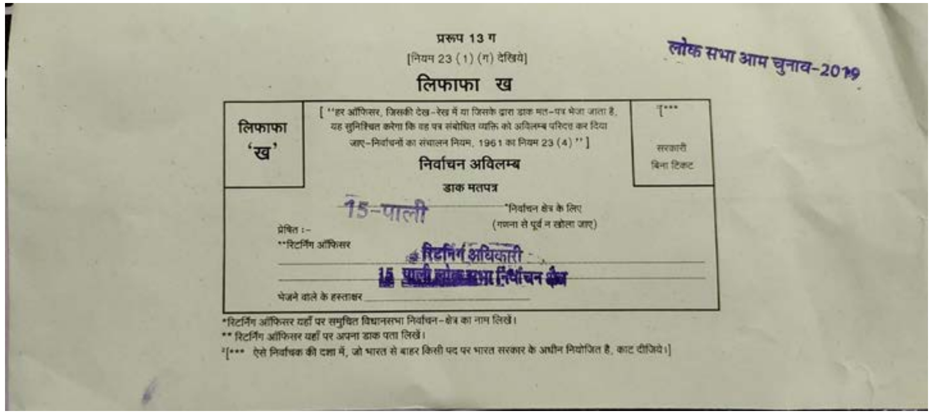
प्ररूप 13 ग
[नियम 23 (1) (ग) देखिये]
लिफाफा ख
लोक सभा आम चुनाव-2019

लिफाफा 'ख'
["हर ऑफिसर, जिसकी देख-रेख में या जिसके द्वारा डाक मत-पत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह पत्र संबोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए-निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 23 (4)"]
[***
सरकारी
बिना टिकट
निर्वाचन अविलम्ब
डाक मतपत्र
15-पाली *निर्वाचन क्षेत्र के लिए
(गणना से पूर्व न खोला जाए)
प्रेषित :-
**रिटर्निंग ऑफिसर
रिटर्निंग अधिकारी
15 पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
भेजने वाले के हस्ताक्षर ....

*रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर समुचित विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखें।
** रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर अपना डाक पता लिखें।
[*** ऐसे निर्वाचक की दशा में, जो भारत से बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है, काट दीजिये।]

डाक मत पत्रों की गणना

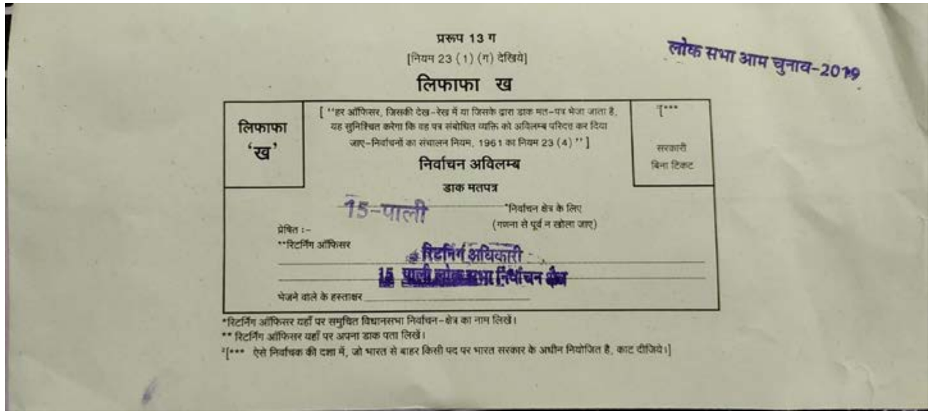

प्ररूप 13 ग

[नियम 23 (1) (ग) देखिये]

लोक सभा आम चुनाव-2019

लिफाफा ख

लिफाफा 'ख'

["हर ऑफिसर, जिसकी देख-रेख में या जिसके द्वारा डाक मत-पत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह पत्र संबोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए-निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 23 (4) "]

[*** सरकारी बिना टिकट

निर्वाचन अविलम्ब

डाक मतपत्र

15-पाली *निर्वाचन क्षेत्र के लिए (गणना से पूर्व न खोला जाए)

प्रेषित :-

**रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग अधिकारी

15 पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

भेजने वाले के हस्ताक्षर

*रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर समुचित विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखें।

** रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर अपना डाक पता लिखें।

*[*** ऐसे निर्वाचक की दशा में, जो भारत से बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है, काट दीजिये।]

गणना का प्रथम चरण

प्रारूप 13 'ग' को खोलकर

घोषणा 13 'क' की संवीक्षा

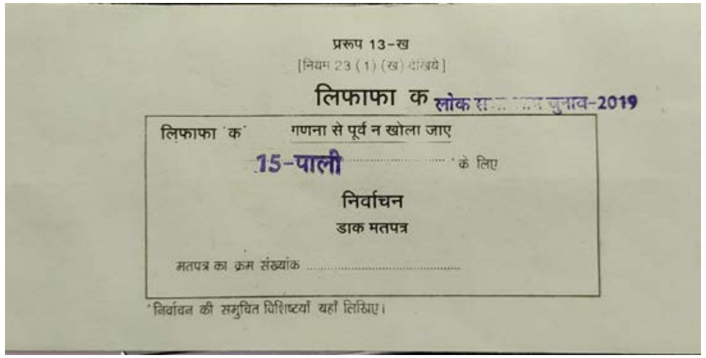

प्ररूप 13-ख

[नियम 23 (1) (ख) देखिये]

लिफाफा क

लोक सभा आम चुनाव-2019

लिफाफा 'क' गणना से पूर्व न खोला जाए

15-पाली *के लिए

निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्यांक ....

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टयाँ यहाँ लिखिए।

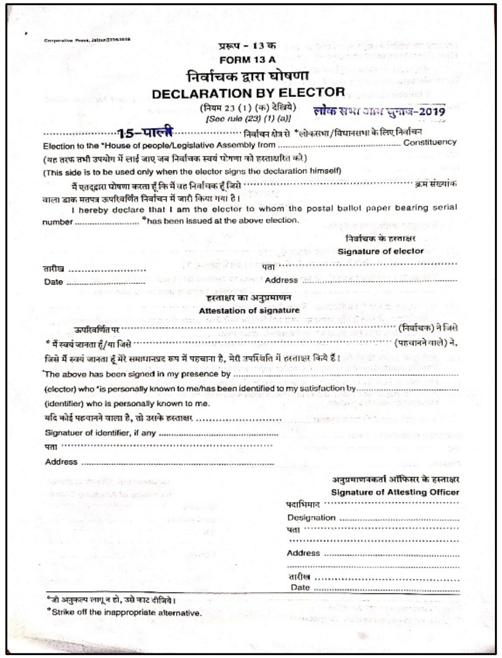

Cooperative Press, Jaipur/2019

प्ररूप - 13 क

FORM 13 A

निर्वाचक द्वारा घोषणा

DECLARATION BY ELECTOR

(नियम 23 (1) (क) देखिये)

[See rule (23) (1) (a)]

लोक सभा आम चुनाव-2019

..........15-पाली.......... निर्वाचन क्षेत्र से *लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन

Election to the *House of people/Legislative Assembly from .... Constituency

(यह तरफ तभी उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं घोषणा को हस्ताक्षरित करे)

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे .... क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है।

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number .... *has been issued at the above election.

निर्वाचक के हस्ताक्षर

Signature of elector

तारीख .... पता ....

Date .... Address ....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

Attestation of signature

ऊपरिवर्णित पर .... (निर्वाचक) ने जिसे

* मैं स्वयं जानता हूँ/या जिसे .... (पहचानने वाले) ने,

जिसे मैं स्वयं जानता हूँ मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

*The above has been signed in my presence by ....

(elector) who *is personally known to me/has been identified to my satisfaction by ....

(identifier) who is personally known to me.

यदि कोई पहचानने वाला है, तो उसके हस्ताक्षर ....

Signatuer of identifier, if any ....

पता ....

Address ....

अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर

Signature of Attesting Officer

पदाभिमान ....

Designation ....

पता ....

Address ....

तारीख ....

Date ....

*जो अनुकल्प लागू न हो, उसे काट दीजिये।

*Strike off the inappropriate alternative.

संवीक्षा में रद्द किए गए सभी डाक मत पत्रों को उचित टिप्पणी के साथ,

13 ख को खोले बिना,

13 क व 13 ख को पुनः 13 ग में रख का अलग पैकेट में सील किया जाएगा

SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

डाक मत पत्रों की गणना

प्रारूप 13 'क' की घोषणा की संवीक्षा के दौरान डाक मत पत्र को रद्द किया जाएगा -

- यदि 13 'ग' को खोलने पर प्रारूप 13 क में घोषणा प्राप्त ही न हो
- यदि घोषणा पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हों
- यदि मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया हो
- यदि प्रारूप 13 'क' में की गई घोषणा में लिखी गई मत पत्र की क्रम संख्या, प्रारूप 13 'ख' के लिफाफे पर लिखी गई क्रम संख्या से भिन्न है

डाक मत पत्रों की गणना

घोषणा की संवीक्षा में रद्द किए जाने वाले सभी डाक मत पत्रों की पुनः जांच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वयं की जाएगी

ऐसे सभी रद्द किए गए डाक मतपत्रों की घोषणा 13 'क' और अंदर के लिफाफे 13 'ख' को पुनः 13 'ग' के अंदर रख कर एक बड़े पैकेट में सील किया जाएगा

संवीक्षा में सही पाए गए सभी डाक मत पत्रों के लिए गणना के दूसरे चरण को प्रारम्भ करने से पहले, सही पाई गई घोषणा 13 'क' को गणना टेबल से हटाकर अलग पैकेट में सील किया जाएगा, इससे पहले अंदर के लिफाफे 13 'ख' को खोला नहीं जाना चाहिए

डाक मत पत्रों की गणना

गणना के दूसरे चरण में, 13 'क' को टेबल से हटाने के बाद, प्रारूप 13'ख' के अंदर के छोटे लिफाफे 'क' को एक-एक कर खोला जाएगा

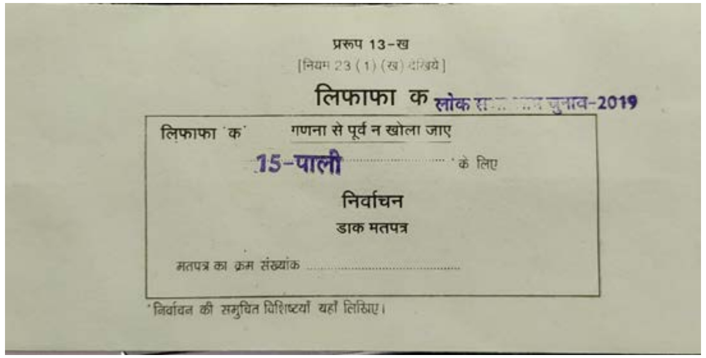
प्ररूप 13-ख
[नियम 23 (1) (ख) देखिये]
लिफाफा क लोक [illegible] चुनाव-2019
लिफाफा 'क' गणना से पूर्व न खोला जाए
15-पाली ...... *के लिए
निर्वाचन
डाक मतपत्र
मतपत्र का क्रम संख्यांक ......
*निर्वाचन की समुचित विशिष्टयाँ यहाँ लिखिए।

डाक मत पत्र

डाक मत पत्रों की गणना

डाक मत पत्र को रद्द किया जाएगा यदि :

- ❑ मत पत्र पर कोई भी मत चिन्हित नहीं हो
- ❑ एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया गया हो
- ❑ यदि मत पत्र जाली हो
- ❑ यदि मत पत्र इस प्रकार से क्षतिग्रस्त या विकृत हो की उसकी असली मत पत्र के रूप में पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सके
- ❑ यदि मत पत्र को प्रारूप 13 'ख' के छोटे लिफाफे 'क' में रखकर नहीं भेजा गया हो
- ❑ मत इस प्रकार चिन्हित किया गया हो कि यह सुनिश्चित न किया जा सके कि मत किसे दिया गया है
- ❑ कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके

डाक मत पत्रों की गणना

डाक मत पत्र पर मत चिन्हित करने के लिए विधि द्वारा कोई विशेष चिन्ह निर्धारित नहीं है

डाक मत पत्र पर लगाया गया कोई भी चिन्ह वैध रूप से स्वीकार किया जा सकता है यदि उससे मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार विशेष को मत देने की मंशा स्पष्ट होती हो

इस प्रकार किसी उम्मीदवार के लिए मत पत्र पर निधारित स्थान में लगाया गया कोई भी चिन्ह स्वीकार किया जाना चाहिए

यदि एक ही उम्मीदवार के नाम के आगे दो या अधिक बार चिन्ह लगाया गया हो तो भी इसे निरस्त नहीं किया जाएगा

डाक मत पत्रों की गणना

इसके बाद सभी वैध मतों की गिनती कर, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए कुल डाक मत पत्रों की संख्या का इंद्राज परिणाम पत्रक प्रारूप 20 में किया जाएगा

इसके पश्चात सभी वैध डाक मत पत्रों एवं रद्द किए गए डाक मत पत्रों को अलग-अलग बण्डलों में बांधकर एक पैकेट में सील किया जाएगा

डाक मत पत्रों की गणना

यदि जीत-हार का अंतर, कुल प्राप्त डाक मत पत्रों से कम है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक महोदय की उपस्थिती में, रद्द एवं स्वीकार किए गए सभी डाक मत पत्रों की पुनः जांच एवं सत्यापन किया जाएगा

- इस जांच की वीडियोग्राफी कर CD को भी अलग लिफाफे में सील किया जाएगा

डाक मत पत्रों की गणना

यदि किसी चुनाव में जीत का अंतर मतगणना के समय अमान्य के रूप में रद्द किए गए डाक मत पत्रों की संख्या से कम हो तो परिणाम की घोषणा से पूर्व, सभी रद्द किए गए ड़ाक मत पत्रों का रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से पुन: सत्यापन किया जाएगा

इस जांच की वीडियोग्राफी कर CD को भी अलग लिफाफे में सील किया जाएगा

ECI Letter No. 470/2019/SDR Dated 18.05.2019

ECI Inst. 18.05.2019

New

परिणाम की घोषणा

ARO द्वारा Tabulation of Trends/Results के आधार पर प्रारूप 20 भाग I तैयार किया जाएगा

ARO द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार तैयार प्रारूप 20 भाग I के आधार पर आरओ द्वारा डाक मत पत्रों की प्रविष्टि करते हुए प्रारूप 20 भाग II तैयार किया जाएगा

जहां आवश्यक हो, आयोग की अनुमति प्राप्त की जाएगी

पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाएगी

यदि मतों की पुनर्गणना हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ हो तो उसे RO द्वारा, स्पीकिंग आदेश से निस्तारित किया जाएगा

इसके बाद ही, तेज उद्घोषणा द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी

प्रारूप 20
भाग I

ANNEXURE – 45

(CHAPTER XV, PARA 15.27.9)

FORM 20

FINAL RESULT SHEET

[SEE RULE 56C(2)(C)]

ELECTION TO THE HOUSE OF THE PEOPLE FROM THE 56 PARLIAMENTARY CONSTITUENCY PART I

(To be used both for Parliamentary and Assembly Election)

Total No. of Electors in Assembly Constituency/Segment 87,725

Name of the Assembly/Segment... 275AB............ ....(in the case of election from a Parliamentary Constituency)

Serial No. Of Polling Station		No. of valid votes cast in favour of A	B	C	D	Total of valid votes	No. of rejected votes	NOTA	Total	No. of tendered votes
1	1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	5	135	205	403	5	748	NIL		748	1
2.	6	170	145	340	118	765	NIL		765	—
3.	6A	405	70	105	230	810	NIL		810	—
4.	7	240	120	215	362	937	NIL		937	2
5.	8	72	269	142	319	802	NIL		802	—
6.	9	72	142	347	92	653	NIL		653	—
7.	10	240	267	142	115	764	NIL		764	—

..................And so on..................................

....

....

प्रारूप 20
भाग I
अंतिम पृष्ठ

(LAST PAGE)

Serial No. of Polling Station	No. of valid votes cast in favour of				Total of valid votes	No. of votes	NOTA	Total	No. of tendered votes
	A	B	C	D					
1	2	3	4	5	6	7		8	9
....									
....									
....									
78	93	127	347	349	916	N		916	—
79	368	40	197	215	820	N		820	—
Total No. of votes recorded at Polling Stations	21,059	19,178	12,358	18,753	71,340	N		71,340	3

No. of votes recorded on postal ballot papers — Not applicable

(To be filled in the case of election from an assembly Constituency)

Total votes polled	21,059	19,178	12,358	18,753	71,340	Nil	71,340	3

Place : Sub-Division Office AB

Date : 27th July, 1992

Assistant Returning Officer

The portion under highlight is only for sake of illustration only.

प्रारूप 20
भाग II

PART II

(To be used for Parliamentary Election only)

Name of Assembly Segment	No. of valid votes cast in favour of				Total of valid votes	No. rejected votes	NOTA	Total	No. of tendered votes
	A	B	C	D					
1	2	3	4	5	6	7		8	9
275 AB	18,697	15,353	10,974	8,458	53,482	Nil		53,482	3
276 CD	21,059	19,170	12,358	18,753	71,340	Nil		71,340	9
277 EF	21,610	13,448	23,117	9,321	67,496	Nil		67,496	—
278 GH	11,822	23,731	13,728	6,540	55,821	Nil		55,821	1
280 IJ	17,523	17,399	16,055	18,835	69,812	Nil		69,812	2
281 KL	21,937	16,756	17,080	11,921	67,694	Nil		67,694	—
Grand Total	112,648	105,857	93,312	73,828	385,645	8,770		385,645	15
No. of votes recorded on postal ballot papers	47	13	22	5	87	17		104	15

Place ....

Date : 28th July, 1992

(Signed) QRS
Returning Officer

The portion under highlight is only for sake of illustration only.

Observer's No Objection

"________________________________Observer Code_(_______), For _________________________Assembly Constituency /Assembly Segment of ----------Parliamentary constituency after having satisfied myself about the fairness of counting of votes and complete accuracy of compilation of result in Form-20 hereby authorize the Returning Officer for ________________________Assembly Constituency to declare the result."

Signature of the Observer________________________________

Name of the Observer____________________________________

Code of the Observer_____________________________________

Assembly Constituency No. & Name______________________"

परिणाम की घोषणा

RO द्वारा परिणाम की घोषणा प्रारूप 21 C में की जाएगी

यह सुनिश्चित करें कि इसमें जीतने वाले उम्मीदवार का नाम एवं पता प्रारूप 7 A के अनुरूप ही हो

इसमें भरी जाने वाली Date of Declaration परिणाम घोषणा की तिथि ही होगी न कि Date of Dispatch

प्रारूप 21 E में Return of Election तैयार कर प्रमाणित किया जाएगा

विजेता उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रारूप 22 में दिया जाकर निर्धारित प्रारूप में रसीद भी प्राप्त की जाएगी

प्रारूप 21 C

FORM 21C

(*See* rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the...Parliamentary constituency in...(State/Union territory).

---

*Election to the Legislative Assembly of...(State/Union territory) from...Assembly constituency.

---

*Election to the Metropolitan Council of Delhi from...................Metropolitan Council constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

....(Name)

....(Address) [1][sponsored by...(name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place...............
Date.................

Signature ....
Returning Officer.

---

*Score out, if inappropriate.

प्रारूप 21 E

FORM 21E

(*See* rule 64)

Return of Election

Election to the..from the..constituency

Return of Election

Serial No.	Name of candidate	Party affiliation	Number of votes polled

Total number of electors..

Total number of valid votes polled...

Total number of votes for 'None of the Above'..........................

Total number of rejected votes...

Total number of tendered votes..

I declare that—

....(Name)

of... (address)

has been duly elected to fill the seat.

Place ....

Date ....

Returning Officer.

प्रारूप 22

FORM 22

(*See* rule 66)

Certificate of Election

I, Returning Officer for the……………..............Parliamentary/Assembly constituency in the State of.................hereby certify that I have on the…..………..........day of …………………….... 20………...... declared Shri....…………………….. of....……………....[1][sponsored by.........(name of the recognised/registered political party)] to have been duly elected by the said constituency [2][in the General Election/Bye-election] to be a member of the House of the People/Legislative Assembly and that in token thereof I have granted to him this certificate of election.

Place ....………..
Date ....…………

…..............................

……………………………………..

Returning Officer,
for the…………………….................……....Parliamentary
Assembly constituency.

SEAL

PREPARED BY : SURENDRA JAIN SLMT PALI (RAJ)

परिणाम की घोषणा

Acknowledgement from returned candidate

I .... acknowledge receipt of the certificate of election in Form 22 in respect of my election to .... from ....constituency, declared on

....

..Date .... Signature of the returned Candidate

Attested and forwarded to the Secretary

....

Returning Officer

परिणाम की घोषणा

प्रारूप 20, 21 C, 21 E को ECI एवं CEO कार्यालय को भिजवाया जाएगा

इनकी एक प्रति पर्यवेक्षक महोदय को भी दी जाएगी

प्रारूप 21 C की एक प्रति विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी भिजवाई जाएगी

प्रारूप 21 C की एक प्रति एवं प्रारूप 22 की पावती महासचिव, लोक सभा सचिवालय को भी भिजवाई जाएगी

मतगणना के बाद सीलिंग

मतगणना के पश्चात, गणना की गई वीवीपेट की पर्चियों के बण्डलों को पुनः वीवीपेट के ड्रॉप-बॉक्स में वापस रख कर, ड्रॉप-बॉक्स को सील किया जाएगा

सीलिंग हेतु RO Secret Seal का प्रयोग किया जाएगा

सभी कंट्रोल यूनिट्स के परिणाम खण्ड को पुनः सील करने के बाद सीयू को केरिंग बॉक्स में रखकर, एड्रैस टेग के साथ, पुनः सील किया जाएगा

मतगणना की समाप्ति के पश्चात सभी ईवीएम एवं वीवीपेट यूनिट्स को, सीयू के पावर-पैक एवं वीवीपेट के पेपर-रोल को निकाले बिना, चुनाव याचिका की निर्धारित अवधि तक स्ट्रॉग-रूम में सील कर रखा जाएगा

नियम 93(1) में दिये गए मतगणना के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी सील किया जाएगा

सारांश

01 **अधिकतम अनुमत टेबल 7**

02 **3 से 4 मतगणना कक्ष**

03 **डाक मत पत्र हेतु अलग कक्ष**

04 **प्रारूप 17 C-II अभिकर्ताओं द्वारा प्रमाणपत्र**

05 **मॉक पोल डाटा** क्लियर नहीं करने पर CU से गणना नहीं

06 **VCB** RO के कक्ष में ही

07 **VCB** निर्धारित डिज़ाइन के अनुसार ही 6'x6'x8'

08 **VVPAT** पर्चियों की गणना हेतु मॉक-ड्रिल

Thank You